| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज<br>**उमराम बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी नर्मदा नहर सांचौर वगैरह, मुकदमा संख्या :– 183/2014** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये |
|---|---|---|
| 10.07.2024 | | |

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा गोलासन के खेत खसरा संख्या 163 रकबा 24 बीघा, खसरा संख्या 163/1 रकबा 6 बिस्वा के आये हुए है उक्त भूमि में से 11. 60 हैक्टेयर भूमि नर्मदा मुख्य नहर में अवाप्त की जाकर अप्रार्थीगण द्वारा नर्मदा मुख्य नहर उक्त भूमि 11.60 हैक्टेयर में बना दी गई। प्रार्थी के पुराने खेत के वर्तमान खसरा संख्या 310 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 311 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 312 रकबा 1.52 हैक्टेयर, तथा नर्मदा मुख्य नहर में अवाप्त भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 1331/310 रकबा 0.83 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1332/312 रकबा 1.04 हैक्टेयर नवीन बनाये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की 11.60 बीघा अर्थात् 1.87 हैक्टेयर भूमि नर्मदा मुख्य नहर में अवाप्त की जाकर इतनी भूमि का अप्रार्थीगण को हक बनता है लेकिन अप्रार्थीगण विधि–विरूद्व तौर से उक्त अवाप्त की गई भूमि से ज्यादा भूमि नर्मदा मुख्य नहर के पास आम रास्ता व पेड़ पौधे लगाकर **प्रार्थी** की अवाप्त भूमि से ज्यादा लेकर नुकसान पहुंचाने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण ऐसा कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रार्थी उचित मुआवजा नहीं पा सकेगा जबकि अवाप्त भूमि से ज्यादा भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई विधिक अधिकार नहीं रहता है। वर्तमान में नर्मदा नहर के नाम दर्ज खसरा संख्या 1331/310 व 1332/312 से बाहर जाकर कार्य करने का अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त खेत से नर्मदा नहर निकालते वक्त भी अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के खेतों में ज्यादा जमीन पर कब्जा करने हेतु डिमार्केशन किया गया था, चुंकि अप्रार्थीगण को मात्र खसरा संख्या 131/310 व 1332/312 पर ही कार्य करने का अधिकार है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है परन्तु अप्रार्थीगण विधि–विरूद्व तरीके से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 310 व 312 में कब्जा कर पेड़ पौधे लगाकर तथा रास्ता निकाल कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसे अंको में नही आंका जा सकेगा। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नर्मदा नहर के नाम दर्ज खसरा संख्या 1331/310 एवं 1332/312 से बाहर जाकर अप्रार्थीगण कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे है तथा अवाप्तसुदा भूमि का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वन विभाग के अधिकारी पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रहे है तथा तारबंदी भी कर रहे है अप्रार्थीगण अवाप्तसुदा भूमि 1.87 हैक्टेयर के बाहर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा ना ही कब्जा किया गया है। प्रार्थी ने आशंका के आधार पर निराधार व मनगंढत प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन नहीं है न ही प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण है। भूमि नर्मदा नहर की अवाप्तसुदा है जिसका नियमानुसार मुआवजा प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया है अतः अब अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन, बलहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांती अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गोलासन के खेत खसरा संख्या 310, 311, 312 जुमले रकबा 2.89 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण दखलदांजी नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:39 IST
Reason: SelfAttested